RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : सोमवार, 16 जनवरी 2023 | वर्ष 04 | अंक 233 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

राकांपा सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में लगी आग, टला हादसा

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान आग लग गई। हालांकि, आग को तुरंत की बुझा लिया गया और कोई बड़ी घटना नहीं हुई। सुले की ओर से बाद में एक बयान जारी कर कहा गया कि वे सुरक्षित हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। बारामती से सांसद सुले एक कराटे प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए हिंजावाड़ी में एक कार्यक्रम में पहुंची थीं। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान उनकी साड़ी में आग लग गई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि माल्यार्पण करते समय सुले की साड़ी मेज पर रखे एक दीप से छू गई और इससे साड़ी में आग लग गई। सुले ने एक बयान में कहा, ''कराटे प्रतियोगिता के उद्घाटन के समय मेरी साड़ी में गलती से आग लग गई। हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

विमान में 72 यात्रियों के साथ 5 भारतीय भी थे सवार...

काठमांडू: नेपाल के पोखरा में रविवार को हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान पांच भारतीयों समेत 72 लोगों को लेकर जा रहा एक नेपाली यात्री विमान रविवार को नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक बचाव अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण (सीएएएन) के अनुसार यति एयरलाइंस के 9एन-एएनसी एटीआर-72 विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पूर्वाह्न 10:33 बजे उड़ान भरी। पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त विमान पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

5 भारतीय यात्री भी थे सवार

सीएएएन की समन्वय समिति, खोज एवं बचाव के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक दुर्घटनास्थल से 68 शव बरामद किए जा चुके हैं। अधिकारी ने कहा कि शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चार और शव बरामद करने के प्रयास जारी हैं। विमान में पांच भारतीय, चार रूसी, दो कोरियाई के अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, इजराइल के एक-एक नागरिक सवार थे।

विमान हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा

यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने कहा कि अभी तक किसी के जीवित बचने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि पोखरा में मौसम बिल्कुल ठीक था और विमान का इंजन भी अच्छी स्थिति में था। उन्होंने कहा हम नहीं जानते कि हवाई जहाज को क्या हुआ। वहीं, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने इस विमान दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के लिए एक कमेटी का ऐलान किया है।

मुंबई के लॉज में पत्नी से देह व्यापार

पुलिस ने फर्जी ग्राहक भेजकर किया भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

ठाणे : मुंबई के भायंदर में पुलिस ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को देह व्यापार में धकेलने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया। उसके साथी को भी गिरफ्त में लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने दो महिलाओं को इस दलदल से बचाकर शेल्टर होम भेजा है।

देह व्यापार की मिली थी जानकारी

देह व्यापार के धड़ल्ले से चलते की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीरा-भायंदर इलाके में स्थित एक लॉज में शुक्रवार को छापेमारी कर दो महिलाओं को मुक्त कराया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पुलिस को देह व्यापार की पुख्ता जानकारी मिली थी, जहां पर धड़ल्ले से चल रहे देह व्यापार के लिए 10,000 रुपये चार्ज किया जाता था। इस दौरान आरोपी महिलाओं से पैसे देने वाले व्यक्तिओं से संबंध बनाने के लिए कहते थे।

एक्शन में नजर आए पुलिस अधिकारी

देह व्यापार की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और लॉज का रुख किया। पुलिस ने देह व्यापार को धड़ल्ले से चलाने वाले आरोपियों की जानकारी को पुख्ता करने के लिए लॉज में फर्जी ग्राहक भेजा। जिसके जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।

मुंबई की पूर्व मेयर ने गरीबों के चार फ्लैटों को हड़प लिया

एसआरए घोटाले को लेकर किरीट सोमैया का आरोप

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शनिवार को एसआरए फ्लैट्स घोटालों को लेकर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किशोरी ने अवैध रूप से वर्ली में गरीब, झुग्गीवासियों के चार फ्लैटों पर कब्जा कर लिया था।

सोमैया ने कहा कि मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और

कीश कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गोमाता जनता एसआरए वर्ली मुंबई में धोखाधड़ी, जालसाजी के लिए मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था मामला

वहीं मुंबई पुलिस ने शनिवार को एक बयान में कहा कि मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर परिवार और कीश कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गोमाता जनता एसआरए वर्ली मुंबई में कथित तौर पर धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और उनका परिवार एक जालसाजी मामले में शामिल था, जिसमें एक अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी किया था।

बेनामी संपत्ति के जरिए इस घोटाले को दिया गया अंजाम: किरीट सोमैया

किरीट सोमैया ने कहा कि बेनामी पर उनके परिवार ने अवैध रूप से चार फ्लैटों का अधिग्रहण किया था , जो गरीब, झुग्गी निवासियों के थे। इससे पहले दिन में, मुंबई पुलिस ने गोमाता जनता एसआरए वर्ली मुंबई में कथित धोखाधड़ी जालसाजी धोखाधड़ी मामले के संबंध में किशोरी पेडणेकर और कीश कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

अदालत ने पेडणेकर के बेटे और चार लोगों को भेजा समन

एक विशेष कंपनी अदालत ने किशोरी पेडणेकर के बेटे साईप्रसाद पेडणेकर, उनकी फर्म किश कॉरपोरेट और चार अन्य के खिलाफ जालसाजी और 2012 में कंपनी को पंजीकृत करते समय झूठे दस्तावेज जमा करने के लिए समन जारी किया।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

बाड़ खाये खेत

यह घटनाक्रम परेशान करने वाला है कि जिन लोगों पर किसानों की मेहनत से उगाये अन्न के संरक्षण व न्यायसंगत वितरण का दायित्व था, वे ही निहित स्वार्थों के लिये इसको ठिकाने लगाने में शामिल थे। देश के नीति-नियंताओं ने जिस विभाग की स्थापना किसान को न्यायसंगत दाम देकर भूख के कारगर समाधान के लिये की थी, उसी विभाग की काली भेड़ें आज घोटालों व हेराफेरी में लिप्त पाई गयी हैं। इस बात की पुष्टि सीबीआई द्वारा पंजाब,हरियाणा व दिल्ली के पचास ठिकानों पर हुई दबिश से होती है। इस छापे में जहां भारतीय खाद्य निगम के चंडीगढ़ स्थित उप महाप्रबंधक व एक एग्रो इंडस्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया है, वहीं चौहत्तर लोगों के खिलाफ केस दर्ज किये गये हैं। इतना ही नहीं, अस्सी लाख से अधिक की नकदी भी बरामद हुई है। कैसी विडंबना है कि जिन लोगों पर खाद्यान्न संरक्षण का दायित्व था वे ही इसकी बंदरबांट में लगे थे। आपराधिक कृत्य देखिये कि कुछ अनाज के व्यापारी व निजी चावल मिल मालिक घटिया अनाज सस्ती दरों में खरीदकर अधिकारियों की जेब गर्म करने के बाद एफसीआई को ऊंचे दामों में बेचकर गोदामों में रखवा देते थे। दुर्भाग्य की बात है कि यही अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को बांटा जाता था। पता नहीं कब से यह गोरखधंधा चल रहा था। इस छापे में बरामद मोटी रकम घोटाले के आकार की ओर इशारा करती है। निस्संदेह, सीबीआई का 'ऑपरेशन कनक' भ्रष्ट अधिकारियों के लिये एक सबक साबित होगा और भविष्य में हेराफेरी करने से पहले कई बार सोचेंगे। पक्की बात है कि सीबीआई की जांच में भविष्य में कुछ बड़े खुलासे होंगे और विभाग की कई बड़ी काली भेड़ें सामने आएंगी। फिलहाल भी एफसीआई के एक कार्यकारी निदेशक समेत 74 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन लोगों में विभाग के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी, कुछ संस्थाएं और बिचौलिये किस्म के आम लोग भी शामिल हैं।

निस्संदेह, यह गोरखधंधा कई वर्षों से चल रहा होगा। इस घोटाले में एफसीआई द्वारा आउटसोर्स किये गये बेनामी गोदामों को भ्रष्टाचार का जरिया बनाया गया। इस बात की पुष्टि सीबीआई अधिकारियों ने भी की है। जिसमें पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को भी संदिग्ध बताया जाता है। निस्संदेह, भारतीय खाद्य निगम, कारोबारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बनाये भ्रष्टाचार के नापाक गठजोड़ पर सीबीआई की चोट एक स्वागत योग्य कदम है। बेहतर होता कि वर्षों पहले इस तरह के अपवित्र गठबंधन की लगातार निगरानी होती। कहना कठिन है कि भ्रष्ट अधिकारियों का यह निंदनीय कृत्य कब से चल रहा था और कितने गरीब व जरूरतमंद लोग घटिया अनाज लेने को मजबूर रहे होंगे। कहीं न कहीं इस तरह के मामलों में किसानों के साथ भी अन्याय होता रहा है। सिंडिकेट के जरिये घटिया अनाज खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चूना लगाया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने भ्रष्ट भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों, चावल मिल मालिकों तथा बिचौलियों के सिंडिकेट में शामिल लोगों की पहचान के लिये छह माह तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। तब जाकर इस गोरखधंधे में शामिल बड़ी मछलियां हाथ आईं। आमतौर पर मान्यता रही है कि महिला अधिकारी ईमानदारी से अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन करती हैं, लेकिन इस छापे में एक महिला अधिकारी के घर की वॉशिंग मशीन से लाखों की नकदी बरामद की गई। निस्संदेह, अभी इस अपवित्र गठबंधन की और परतें खुलेंगी। बहुत संभव है कि चारे घोटाले की तरह इस मामले का दायरा विस्तृत निकले। खुलासा हुआ है कि जो निविदाएं आमंत्रित की जाती थी उनमें भी रिश्वत ली जाती थी। एफसीआई द्वारा भंडारण के लिये आउटसोर्स किये गये कई बेनामी गोदामों के मालिक भी सीबीआई के रडार पर हैं।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

कपड़े के गोदाम में 99.44 लाख रुपये की चोरी

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक गोदाम से 99.44 लाख रुपये के कपड़ों की चोरी के मामले को वहां मिलीं पानी की खाली बोतलों की मदद से सुलझा लिया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. भिवंडी जोन के पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि चोरी आठ जनवरी को भिवंडी शहर स्थित गोदाम में हुई थी, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस जांच दल ने इलाके के CCTV फुटेज और खुफिया सूचनाओं सहित विभिन्न सुरागों पर काम किया. उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध स्थल पर पानी की खाली बोतलें और चिप्स के पैकेट भी मिले. गोदाम में मिली पानी की बोतलों पर लगे लेबल पास के एक होटल में पानी की बोतलों पर लगे लेबल से मेल खा रहे थे.

देवेंद्र फडणवीस ने दी खुली चेतावनी!

निवेशकों से वसूली करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार (14 जनवरी) को पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, एक व्यवसायी राज्य में 6 हजार करोड़ रुपये का निवेश करना चाहता था. लेकिन धमकी और जबरन वसूली कॉल के चलते अपनी परियोजना को उसने महाराष्ट्र से कर्नाटक ट्रांसफर कर दिया. देवेंद्र फडणवीस ने उद्योगों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पुलिस को निर्देश दिए. डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में नेताओं से औद्योगिक क्षेत्र में राजनीति नहीं लाने की अपील की. साथ ही श्रमिक मुद्दों को समर्थन देने की आड़ में पैसा बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. डिप्टी सीएम बोले, 'मुझे ये कहते हुए बेहद बुरा लग रहा है कि एक निवेशक दोपहर के वक्त मुझसे मुलाकात कर कहता है कि वो एक साल पहले महाराष्ट्र में 6 हजार करोड़ रुपये का निवेश करना चाहता था. लेकिन धमकी और जबरन वसूली कॉल्स के चलते उसने अपनी ये परियोजना को महाराष्ट्र में ना कर के कर्नाटक ट्रांसफर कर दिया.

राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी- फडणवीस

डिप्टी सीएम बोले, अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को ऐसे परेशान करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देता हूं. डिप्टी सीएम ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए ये भी कहा कि अगर कार्रवाई करने में पुलिस विफल रहती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

टैक्स जुटाने के लिए सरकार ने खोजी नई तरकीब

मुंबई : हिंदुस्थान में अभी तक बैंक से पैसे निकालने के लिए सिर्फ हस्ताक्षर की जरूरत होती थी लेकिन जल्द ही चेहरा देखकर चेक' पास होंगे। बताया गया है कि आने वाले दिनों में फेस वेरिफिकेशन के बाद ही बैंकों में आम ट्रांजेक्शन संभव होगा। इसके लिए चेहरे और आंखों की रेटिना स्वैष्ठन होंगे। इसके तहत सरकार फेस आईडी और आइरिस स्वैष्ठनिंग की प्लानिंग कर रही है। हालांकि, फेस आईडी की जरूरत सभी तरह के ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास मामलों में होगी। कुछ बड़े निजी और सार्वजनिक बैंकों ने इस विकल्प का उपयोग करना शुरू भी कर दिया है। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि टैक्स जुटाने के लिए सरकार की यह नई तरकीब है। ज्ञात हो कि बीते कई सालों से बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही टैक्स की भी चोरियां नहीं थम रही हैं। ऐसे में इन्हें रोकने और कम करने के लिए केंद्रीय सरकार ने देश के बैंकों में फेस रिकॉग्निशन और आइरिस स्वैष्ठन का यूज करने के लिए कहा है। साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि बैंकों द्वारा चेहरे की पहचान का उपयोग करने की संभावना से कुछ गोपनीयता विशेषज्ञ चिंतित हैं। सरकार ने कहा है कि वह २०२३ की शुरूआत तक एक नए गोपनीयता कानून की संसदीय स्वीकृति दिलाने की कोशिश में है। नाम न छापने की शर्त पर दो सरकारी अधिकारियों ने कहा कि नए उपायों का इस्तेमाल एक वित्तीय वर्ष में २० लाख रुपए से अधिक जमा और निकासी करने वाले व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है, जहां पहचान के प्रमाण के रूप में आधार पहचान पत्र साझा किया जाता है। आधार कार्ड में एक व्यक्ति की उंगलियों के निशान, चेहरे और आंखों के स्वैष्ठन से जुड़ी एक अनूठी संख्या होती है। दिसंबर में हिंदुस्थान के वित्त मंत्रालय ने बैंकों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सत्यापन चेहरे की पहचान और आइरिस स्वैष्ठनिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए।

अंडे की कीमतों में उबाल, टूटे सभी रिकॉर्ड...

मुंबई में 90 रुपए दर्जन, देसी के तो भाव मत पूछिए!

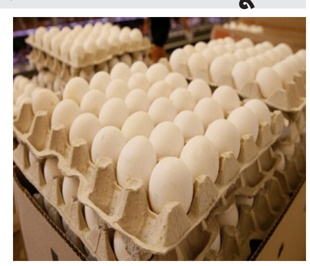

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंडे की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. अब यह पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़कर 90 रुपये प्रति दर्जन पर पहुंच गई है. इससे न केवल परिवारों पर बल्कि बड़ी मात्रा में अंडे खरीदने वाले होटल, रेस्तरां और बेकर्स को भी शॉक दे दिया है. शनिवार को मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला और बांद्रा पश्चिम में अंडे 90 रुपये प्रति दर्जन और बोरीवली, दादर और कुर्ला के कुछ हिस्सों में 84 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे थे. सायन, विक्रोली और कांदिवली जैसे अन्य इलाके 78-80 रुपये में बिके.

एनईसीसी (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी) की प्रकाशित रिटेल दर 78 रुपये थी, और विक्रेता आमतौर पर 6-10 रुपये अधिक चार्ज करते हैं. शनिवार का होलसेल रेट 626 रुपए प्रति 100 पीस था. व्यापारियों ने वृद्धि के लिए शीतलहर को जिम्मेदार ठहराया है. मुंबई एग ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आफताब अहमद खान ने कहा, 'सर्दियों के दौरान कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर भी यह हर तरह से एक नया रिकॉर्ड है. मांग में भारी उछाल है, खासकर उत्तर भारत में, जहां कड़ाके की ठंड चल रही है.'

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजू शेवाले ने कहा, 'इसके अलावा, सोया, मक्का और अन्य पोल्ट्री फीड जैसे कच्चे माल की दर भी बहुत अधिक हो गई है. हाउस ऑफ एग्स माहिम के अब्दुल कादर मुजावर शनिवार को फॉर्म के अंडे 80 रुपये और देसी अंडे 148 रुपये प्रति दर्जन बेच रहे थे. उन्होंने कहा, 'ट्रांसपोर्टर और मजदूर पुराने दामों पर काम करने से इनकार करते हैं, क्योंकि महंगाई ने सभी को बुरी तरह प्रभावित किया है.'

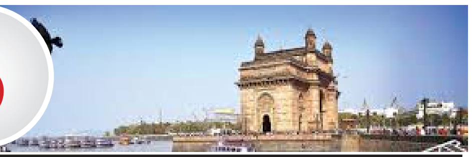

मुंबई में लापरवाही के शिकार हुए दो युवा, कलिना में मिल्क वैन ने उड़ाया, मौत

मुंबई : मुंबई में लापरवाही के चलते दो युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि कलिना में यूनिवर्सिटी गेट के पास एक सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। हादसा गुरुवार को तब हुआ, जब नवी मुंबई में बीपीओ में कार्यरत दोनों लोग घर लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 24 वर्षीय स्कूटर सवार और उसके पीछे बैठी महिला को तेज गति से आ रही मिल्क वैन ने टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब स्कूटर सवार दोनों दूसरी लेन में घुसे। उसी लेन में पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस वजह से उन्हें मिल्क वैन नजर नहीं आया। वकोला पुलिस ने ड्राइवर शिवजतन यादव (40) को गिरफ्तार कर लिया। मृतकों पहचान चंद्रकांत सरदार (25) और उसकी दोस्त पायल वल्लेचा (25) के तौर पर हुई है। यादव पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279 (तेज ड्राइविंग) और 304 (ए) (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐरोली के रहने वाले चंद्रकांत और पायल शाम को गिरगांव में टहलने के लिए अपने घर से निकले थे और घर वापस लौट रहे थे तभी हादसा हुआ। सहायक पुलिस आयुक्त (वकोला डिवीजन) श्रीपद काले ने कहा "घटना कलिना यूनिवर्सिटी गेट के बाहर जंक्शन के पास किए जा रहे पुल के काम के कारण बने ब्लाइंड स्पॉट के कारण हुई।

बजट घाटा १०० अरब डॉलर के पार...

आयात में 21.7 फीसदी की हुई वृद्धि

मुंबई : चीन जब भी सीमा पर नीच हरकत करता है, देश में चीनी सामान का बहिष्कार अभियान शुरू हो जाता है। मगर अब पता चला है कि देश में ड्रैगन के बहिष्कार की मुहिम सिर्फ दिखावा साबित हुई है। सच तो यह है कि वर्ष २०२२ में चीन से आयात बढ़ने के साथ ही कारोबार नई ऊंचाई पर पहुंचा है। चीन से कुल आयात में २१.७ फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं हिंदुस्थान का व्यापार घाटा बढ़कर १०० अरब डॉलर के पार जा पहुंचा है। इसका अर्थ ये है कि चीन से हमारा आयात तो बढ़ा पर चीन को हमारा निर्यात घट गया।

बता दें कि हिंदुस्थान और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष २०२२ में १३५.९८ बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस द्वीपक्षीय व्यापार में वृद्धि का एक बड़ा कारण चीन से हिंदुस्थान में आयात में हुई वृद्धि है। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्थान से चीन को हुए निर्यात में वर्ष २०२२ में गिरावट दर्ज की गई। इससे देश का व्यापार घाटा पहली बार १०० अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। बीजिंग

स्थित जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की ओर से गत शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्थान और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल ८.४ फीसदी की वृद्धि के साथ १३५.९८ अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें हिंदुस्थान की ओर से ११८.५ अरब डॉलर का आयात किया गया है।

हिंदुस्थान और चीन के बीच व्यापार की खाई बढ़ती जा रही है। चीन से जहां आयात में वृद्धि हो रही है वहीं, निर्यात में कमी आ रही है। इसके साथ ही चीन के साथ हिंदुस्थान का व्यापार घाटा भी बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्थान और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल ८.४ फीसदी की वृद्धि के साथ १३५.९८ अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें हिंदुस्थान की ओर से ११८.५ अरब डॉलर का आयात किया गया है। पिछले वर्ष यह ९७ अरब डॉलर था। चीन को हिंदुस्थान का निर्यात इस दौरान पिछले वर्ष २८.१ बिलियन डॉलर से घटकर १७.४८ प्रतिशत रह गया। इस तरह यह व्यापार घाटा वर्ष २०२२ में बढ़कर १०१.०२ अरब डॉलर पर पहुंच गया। वर्ष २०२१ के ६९.४ अरब डॉलर की तुलना में इसमें ४५ फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। २०२२ में चीन का कुल विदेशी व्यापार ७.७ फीसदी बढ़कर ६.२५ ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान निर्यात में १०.५ फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। चीन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार आसियान के साथ चीन का व्यापार ११.२ फीसदी बढ़कर ९७५.३४ अरब डॉलर हो गया। यूरोपीय संघ चीन के व्यापारिक साझेदारों में दूसरे स्थान पर रहे। उनके साथ चीन का व्यापार २.४ फीसदी बढ़कर ८४७.३२ अरब डॉलर हो गया है। तीसरे नंबर पर अमेरिका का नंबर है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार ०.६ फीसदी बढ़कर ७५९.४२ अरब डॉलर हो गया है।

फीस जमा न होने पर आठ वर्षीय बच्ची को नहीं देने दी परीक्षा, नामी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर

मुंबई : मुंबई में समय पर फीस जमा न होने के कारण एक आठ साल की मासूम छात्रा को परीक्षा से बाहर निकाले जाने का मामला सामने आया है। यह मामला मुंबई के नामचीन स्कूल का है। मामला सामने आने के बाद स्कून प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने शनिवार को कहा कि दादर इलाके के

एक प्रमुख स्कूल के प्रिंसिपल और एक क्लास टीचर के खिलाफ आठ साल की बच्ची को स्कूल की फीस न चुकाने पर यूनिट टेस्ट नहीं देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरी कक्षा के छात्र के पिता ने शुक्रवार को पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को बुधवार को आयोजित यूनिट टेस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने पिता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि बच्ची को अपमानित करने के लिए कक्षा में अन्य छात्रों से अलग बैठाया गया। पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा-75 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह धारा दंड का प्रावधान करती है यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अपने नियंत्रण में रखता है, हमला करता है, छोड़ देता है, दुर्व्यवहार करता है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है।

मुंबई में लापता MBBC की छात्रा के अपहरण के आरोप में लाइफगार्ड गिरफ्तार...

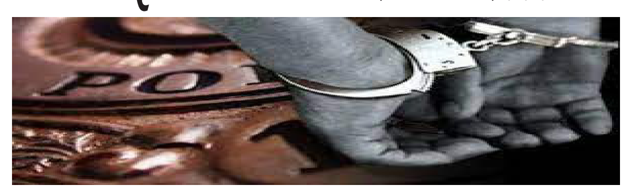

मुंबई : मुंबई के एक कॉलेज से नवंबर 2021 से लापता की छात्रा के कथित अपहरण के मामले में यहां 32 वर्षीय लाइफगार्ड (समुद्र तट पर तैनात सुरक्षाकर्मी) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि सर जेजे हॉस्पिटल एंड ग्रांट मेडिकल कॉलेज की तृतीय वर्ष की 22 वर्षीय छात्रा सदिच्छा साने को कथित तौर पर आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा ने बृहस्पतिवार रात उपनगर बांद्रा से आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को एक अदालत ने 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अधिकारी ने बताया कि नागपाड़ा पुलिस ने पिछले साल अगस्त में आरोपी की नार्को और ब्रेन-मैपिंग जांच की थी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था। नवंबर 2021 में साने सुबह नौ बजकर 58 मिनट पर विरार स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ी और अंधेरी में उतरी क्योंकि उसे अपराह्न दो बजे परीक्षा देनी थी। इसके बाद वह एक और ट्रेन में चढ़ी तथा बांद्रा में उतरी जहां उसने बांद्रा बैंडस्टैंड तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से पता चला कि वह दोपहर तक उसी इलाके में घूमती रही। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि उस दिन उसकी ड्यूटी बांद्रा बैंडस्टैंड पर थी और उसे अकेला देखकर उसे संदेह हुआ कि वह आत्महत्या कर सकती है तथा इस वजह से वह उसके पास गया। युवती ने उसे बताया कि वह वहां अपनी जान देने नहीं आई है। इसके बाद दोनों एक चट्टान पर बैठ गए और बातें करने लगे। इस दौरान करीब तीन घंटे में उसने लड़की के साथ चार सेल्फी लीं। अधिकारी ने बताया कि जब युवती के जैसी कद-काठी की महिला के लापता होने की खबर आई तो उसने पुलिस को अपना बयान दर्ज नहीं कराया और जब पुलिस ने उससे संपर्क किया तभी उसने लड़की से बातचीत होने की बात कबूल की। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और 364 (ई) (फिरौती के लिए अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

संजय राउत के करीबी पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज

मुंबई : मुंबई पुलिस ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर की कंपनी के खिलाफ कोविड सेंटर स्कैम मामले में FIR दर्ज की है. सुजीत पाटकर के खिलाफ शुक्रवार को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया. बता दें कि इस मामले में पिछले साल आजाद मैदान में त्रक्रफ़दर्ज की गई थी और फिर आगे की जांच के लिए एडह को ट्रांसफर किया गया था.

मुंबई पुलिस ने कहा कि सुजीत पाटकर की हेल्थकेयर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कंपनी और उसके भागीदारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 465, 468, 471 और 34

के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, सुजीत पाटकर की हेल्थकेयर मैनेजमेंट सर्विस एलएलपी और उसके भागीदारों, संदीप हरिशंकर और गुप्ता योगेश भुमेश्वर राव के खिलाफ जाली दस्तावेज जमा करके और जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करके कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार को धोखा देने के लिए मामला दर्ज किया गया है.

अनियमितताएं के लगे थे आरोप

आरोपों के मुताबिक, पाटकर को मुंबई और ठाणे में कई जगह कोविड सेंटर बनाने के लिए ठेके भी मिले थे. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इन ठेकों में अनियमितताएं होने का आरोप लगाया था. सोमैया ने पाटकर और उनकी कंपनी के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. गौरतलब है कि मुंबई के पात्रा चॉल के पुनर्विकास मामले में राउत पर 2022 से पहले से ही जांच की जा रही है. इस मामले में उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था. ऐसे में उनके बेहद करीबी माने जाने वाले सुजीत पाटकर पर मामला दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

महाराष्ट्र में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या

पुलिस देर रात सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे में एक ही परिवार के 4 लोगों सदस्यों ने देर रात अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि स्थानीय पुलिस देर रात सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक सूचना में परिवार के सदस्यों के आत्महत्या करने का कारण कंपनी में वित्तीय नुकसान होना है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के सही कारण का पता मेडिकल जांच के बाद चलेगा। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

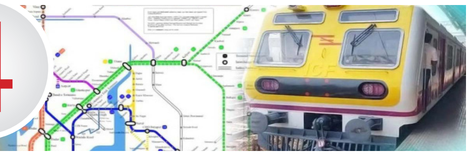

एनसीपी नेता आनंद परांजपे का सनसनीखेज आरोप...

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद कल मेरे एनकाउंटर का आदेश दे सकते है

ठाणे : पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंजाबराव उगले, पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े और ठाणे पुलिस बल के अमरसिंह जाधव सत्ता पक्ष के प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सीएम पुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे और पूर्व मेयर नरेश म्हस्के पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह को मेरा एनकाउंटर करने का आदेश भी दे सकते है। उक्त सनसनीखेज आरोप राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और ठाणे-पालघर जिला समन्वयक आनंद परांजपे ने लगाया है। जिससे ठाणे की राजनीति में खलबली मच गई है। परांजपे ने कहा कि 22 दिसंबर 2022 को विधानसभा में जयंत पाटिल के निलंबन के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना दिया था। उसके बाद ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के 11 थानों में पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग कर अपराध दर्ज किए गए। इसके खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

मैं आंख से आंख मिला कर आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता हूं

ठाणे में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए परांजपे ने कहा कि परांजपे ने यह भी आरोप लगाया कि असंवैधानिक शिंदे सरकार का विरोध करने पर ठाणे पुलिस राजनीतिक कार्यकताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा हमने हिन्दू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं डरते। यदि कोई गोली मारनी हो तो उसे छाती में मारे। लेकिन पीठ पर वार मत करो। क्योंकि, मैं आंख से आंख मिला कर आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता हूं। परांजपे ने यह भी कहा कि संविधान के विरुद्ध बनी शिंदे सरकार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। खोके, एक दम ओके, भूखंड श्रीखंड वाले फलक लगाने के आरोप में तीन ज्ञात और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ नौपाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है।

बच्चों को भी धमकाया जा रहा है

इनमें से तीन को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि, दो अज्ञात के नाम स्पष्ट नहीं हैं। परांजपे ने पुलिस पर आरोप लगाया कि एनसीपी के युवक अध्यक्ष विक्रम खामकर और पार्टी विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक पुसालकर घर पर नहीं थे तो पुलिस 11 से 13 जनवरी के बीच करीब 10 बार उनके घर गई और उनके घर की महिलाओं को परेशान किया। साथ ही बच्चों को भी धमकाया जा रहा है। परांजपे ने कहा कि पुलिस अब लोगों के घर में प्रवेश कर बाथरूम, बेडरूम, किचन और यहां तक कि बिस्तर का निरीक्षण कर रही हैं। यहाँ कहाँ का कानून कहता है कि किसी के घर में घुसकर आप इस प्रकार परिवार को परेशान कर सकते हो। परांजपे ने ठाणे पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कानून की रक्षा के लिए हो लेकिन आज यह पुलिस और कमिश्नर सिर्फ मुख्यमंत्री और उसके कुछ लोगों की बात सुन रहे है और वे खद्दर के रूप में सेवा में शामिल होने के दौरान ली गई शपथ को भूल गए हैं।

मुंबई के ठाणे जिले में रिक्शा चोरों के एक गिरोह को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है

मुंबई : ठाणे, नवी मुंबई से रिक्शा चुराने वाले चार लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने की है। पिछले एक साल में अकेले नवी मुंबई से ही 150 से ज्यादा रिक्शा चोरी हो गए। इस मामले में नवी मुंबई पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगने से आरोपियों द्वारा रिक्शा चोरी के अपराधों में इजाफा हो गया था.

अंत में, नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त मिलिंद भराम्बे ने क्राइम ब्रांच यूनिट को मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाने का आदेश दिया। आखिरकार मुम्बई के गोवंडी, मानखुर्द से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों के पास से कुल 7 लाख कीमत के 10 रिक्शा जब्त किए गए हैं।

भारी बैग का दबाव

किताबों के बीच सिसकते बचपन!

पालघर : किताबों के बीच सिसकते बचपन ने शिक्षा की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। एक छोटे बच्चे के लिए दस-बारह किताबें रोज स्कूल ले जाना और उन्हें पढ़ना कठिन होता है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारी बैग के दबाव के कारण बच्चे गर्दन, पीठ दर्द का तो शिकार हो ही रहे हैं, साथ ही बस्ते के बढ़ते अनावश्यक बोझ से बच्चे मानसिक रूप से कुंठित भी हो रहे हैं। शिक्षा एवं स्मार्ट स्कूलों का दावा करनेवाले प्राइवेट स्कूल, नर्सरी एवं प्राइमरी कक्षाओं में बस्ते के वजन को लेकर जारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चों के बस्ते (बैग) का वजन भी बड़ी कक्षाओं के बच्चों से भारी है। इससे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करनेवाले बच्चे बोझ की मार झेल रहे हैं।

स्कूल बैग का बढ़ता बोझ निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। भारी बैग की वजह से बच्चों के कंधों पर जरूरत से अधिक दबाव पड़ता है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि केजी के बच्चे के बैग का वजन २ किलो तक होता है, जबकि दूसरी क्लास तक पहुंचते-पहुंचते यह बढ़कर ४ किलो हो जाता है। पांचवीं में स्कूल बैग का वजन ५ से ७ किलो तक हो जाता है। पालघर जिले में प्राइमरी में करीब दो लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं।

प्राइवेट स्कूलों में मासूमों पर बस्ते का भार कम करने के लिए न तो शिक्षा विभाग किसी तरह की लगाम लगा रहा है न तो सरकार शिकंजा कस रही है। प्राइवेट स्कूलों की ओर से छोटे बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की पुस्तकें, कॉपियां, ड्रॉइंग बुक आदि लाद देते हैं। जिससे भारी भरकम बस्तों के बोझ तले बचपन दब रहा है।

मीरा-भायंदर में नहीं है वाहन पार्किंग!

सड़क पर खड़ी करें तो उठा ले जाती है पुलिस

भायंदर : मीरा-भायंदर में वाहन चालकों की हालत आगे पहाड़ पीछे खाई जैसी है। अधिकांश सार्वजनिक जगहों पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और अगर सड़क पर गाड़ी पार्क की तो यातायात पुलिस उठा ले जाती है। मतलब चालकों को मजबूरी में मुसीबत मोल लेनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अन्यायकारी बताया है और बिना पार्किंग इंतजाम वाले सार्वजनिक स्थलों से गाडियां नहीं उठाने की मांग की है। इसके लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास और कोषाध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल ने क्रमशः पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि मीरा-भायंदर महानगरपालिका मुख्यालय, महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय, बैंक, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, पूजा स्थल, पुलिस थाने, पुलिस आयुक्तालय और उपायुक्त कार्यालय, कई प्रतिष्ठान आदि सार्वजनिक जगहों पर वाहनों के

पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं हैं। मजबूरी में लोग सड़क पर गाड़ी पार्क करते हैं, लेकिन वहां गाड़ियां यातायात पुलिस उठा ले जाती है।

नहीं उठाई जातीं री-सेल और गैरेज की गाड़ियां

खंडेलवाल ने कहा कि यह पुलिसिया कार्रवाई न्याय संगत नहीं हैं। उन्होंने इसे रोकने की मांग पुलिस कमिश्नर से की है। खंडेलवाल ने कहा कि दूसरी तरफ कई जगह सर्विस रोड, फुटपाथ और सड़क पर सेकंड हैंड गाड़ियां बिक्री और मरम्मत के लिए गैरेज के बाहर खड़ी रहतीं हैं। उन पर कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस का यह दोहरा मापदंड है। जिलाध्यक्ष रवि व्यास ने कहा कि आबादी के साथ ही गाड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लोग पूजा-पाठ, महानगरपालिका, पुलिस, बैंक में काम और खरीदारी के लिए दुकानों में जाते हैं, तो स्वाभाविक है वहीं पर गाड़ियां पार्क करेंगे। गाड़ी उठा ले जाने से लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। ऊपर से उन्हें मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है ।

टोइंग से पहले गाड़ी हटाने की उद्घोषणा जरूरी

इस मामले पर पूर्व नगरसेवक रोहित सुवर्णा ने कहा कि गाड़ी उठाने का एक नियम है। जिसके तहत गाड़ी उठाने से पहले पुलिस को मेगा फोन से उसे हटाने की उद्घोषणा उसके नंबर और रंग की जिक्र के साथ करनी होती है। इसके बावजूद भी अगर चालक गाड़ी नहीं हटाता है तभी पुलिस गाड़ी टोइंग कर ले जा सकती है।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाटसप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com